



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 767) पटना, वृहस्पतिवार, 2 सितम्बर 2021

सं० 27@vkjki&01&57@2020&8554@lk0i.0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

10 अगस्त 2021

श्रीमती राखी कुमारी, बि०प्र०से० कोटि क्रमांक-1412/11 तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा सम्प्रति जिला जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के विरुद्ध समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-2071, दिनांक-07.04.2018 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। श्रीमती राखी कुमारी के विरुद्ध उनके पदस्थापन अवधि (दिनांक-19.08.2015-03.08.2017 तक) में 98 न्यायालय वादों में मात्र 45 में आदेश पारित करने, जिला जन शिकायत के कुल 210 आवेदनों में 186 का निष्पादन करने, 59 सेविकाओं एवं 121 सहायिकाओं के रिक्त पदों के विरुद्ध मात्र 42 सेविकाओं एवं 121 सहायिकाओं का चयन करने एवं महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा की गयी आपत्तियों से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

समाज कल्याण विभाग से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर से आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक-4726, दिनांक 09.04.2021 द्वारा श्रीमती राखी कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्रीमती कुमारी का स्पष्टीकरण (दिनांक-14.06.2021) प्राप्त हुआ।

श्रीमती कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्रीमती कुमारी के लगभग दो वर्षों के कार्य-काल में 98 न्यायालयीय वादों में से 45 वादों में आदेश पारित किये गये हैं और कुल 53 वाद लंबित रह गये हैं। इसी प्रकार कुल 210 जिला जन शिकायत आवेदनों में से 24 लंबित रहे हैं। 59 सेविकाओं एवं 136 सहायिकाओं के रिक्त पदों के विरुद्ध मात्र 42 सेविकाओं एवं 121 सहायिकाओं का चयन इनके द्वारा किया जा सका है। कही न कही यह श्रीमती कुमारी की कर्तव्यगत शिथिलता का घटक है।

श्रीमती कुमारी के कार्य-काल में महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा कई आपत्तियों दर्ज की गयी हैं। 0.17 लाख असमायोजित अभिश्रवों को लंबे समय तक पदस्थापित रहने के बावजूद उसे पूर्ववर्ती कार्य-काल का बताते हुए उससे पर कार्रवाई नहीं करना किसी भी रूप में सही नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार P.P.E Kits के लिए आवंटित राशि को केवल इस आधार पर प्रत्यर्पित करने का कोई कारण नहीं है कि निविदा में दी गयी शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण निविदा स्थगित कर दी गयी। इसके लिए पुनः निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए थी, तथा P.P.E Kits का क्रय किया जाना चाहिए था।

पोशाक मद की बड़ी राशि रुपये 584.55/- लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से अप्राप्त रहने के आधार पर समर्पित नहीं करना तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की राशि के संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से स्थल संबंधी प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण इस संबंध में शीघ्रता से निर्माण कार्य आरंभ नहीं कराना, कही न कही अधीनस्त पदाधिकारियों पर इनके प्रशासनिक नियंत्रण के अभाव का घोटक है।

समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती राखी कुमारी को 1. निंदन (आरोप वर्ष, 2015-2017) 2. असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि अवरुद्ध करने का निर्णय लिया गया है।

वर्णित स्थिति में श्रीमती राखी कुमारी, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक-1412/11 तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा सम्प्रति जिला जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 यथासंशोधित के नियम-14 के अन्तर्गत 1. निंदन (आरोप वर्ष 2015-2017) 2. असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि अवरुद्ध करने का दण्ड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 767-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>